Subject: **विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)**
Date: 09/23/19 06:42 PM
To: arvind@trai.gov.in, vk.agarwal@trai.gov.in
From: digubhai boricha <d.boricha1980@gmail.com>
Cc: Saurashtra kutch cable operator asso Operator <skcoa999@gmail.com>

अध्यक्ष श्री. आर.एस. शर्माजी
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली 110002

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय
आप केबल टीवी बिज़नेस को हमसे ज्यादा समझ सकते हैं . लेकिन आप ने 29/12/2018 को नया टैरीफ पुरे भारत मे लागू किया वो भी without 15 % cap के बगैर वही इस समस्या मुख्य कारण है क्योकी 15%cap ही नये कानून की रीड की हड्डी थी वही लागू करने में आप असफल रहे केबल टीवी उपभोक्ता एक मीडिल क्लास फैमिली होती है जिसका एकमात्र मनोरंजन का सस्ता साधन हो सकता है उस के लिए कुछ बदलाव करना आवश्यक है.

(1) pay चेनल्स मे a-la-Cate ओर buke की किमत में 10% ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिये ....for example ...अगर कोई भी पे चेनल्स कंपनी अपने buke की किमत 90रुपये डिक्लेयर करती है तो वह buke मे जितनी चेनल्स शामिल है उन सभी चेनल्स को जोड़कर a-la-Cate चेनल्स की किमत रुपये 100 से ज्यादा नही होनी चाहिये

(2) पे चैनल सभी अला कार्टे में उपलब्ध हो जिस के एमआरपी 5 ₹ से ज्यादा ना हो ।। DAS के पहले जिसे तरह CAS में प्रवधान था वैसे ..

(3) ब्रॉडकास्टर अगर पैकेज बना कर देना चाहता हो तो उस मे चैनल की संख्या निर्धारित की जाए और एमआरपी 20 ₹ से ज्यादा नही होनी चाहिए

(4) ब्रॉडकास्टर एमआरपी प्राइस पे केबल ऑपरेटर का भी शेयरिंग फिक्स करे इस लिए के ओ ही कस्टमर को सर्विसेस देता है उस का उस मे सब से बड़ा योगदान है MSO सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करता है कस्टमर को सर्विस देना चैनल के बारे में जानकारी देना उसकी मार्किटिंग करना यह सब ओ ही करता है इस लिए उसका प्रवधान होना आवश्यक है केबल ऑपरेटर काफी तकिलफ में ।। MSO 20%डिस्काउंट में से 10% देता है पर इस से कुछ नही होता उसका खर्चा बहोत ज्यादा है यह सब से इम्पोर्टन है केबल ऑपरेटर रहेंगे तो ही केबल टीवी सर्विस रहेंगी ।।

(5) 100 चैनल फ्री टू एयर नेट वर्क कैपेसिटी फी ₹ 130 ये कैबल ऑपरेटर को मिलनी चाहिए ।। यह उस का अधिकार है ।। MSO कैरिज फी प्लेसमेंट फी और बहोत कुछ आपने पास रखता है इस लिए केबल ऑपरेटर का अधिकार हो ।। उस ही तरह से NCF में DTH MSO किसी को भी छूट देने का अधिकार नही होना चाहिए ।।

(6) कस्टमर एप्पलीकेशन फॉर्म । MSO कस्टमर की पुरी जानकारी ले लेता है जिस में मोबाइल नंबर भी होता है यह सारी डिटेल किसी और के पास भी जाती है और कस्टमर को मार्किटिंग के कॉल आने शुरू हो जाते है ।। इस पर भी कोई ऐसा परविधान होना चाहिये के जिस से कस्टमर की प्राइवेसी बनी रहे . उस की जानकारी सुरक्षित रहे यह होना भी आवश्यक है..

(7) भारत देश में जबसे DAS कानून लागू किया तबसे लेकर आज तक STB portability की सिर्फ बातें ही चल रही है हो सके तो इस परियोजना पर कार्य करे इस से कस्टमर को आपने मनमुताबिक सस्ते दामों में मनोरंजन उपलब्ध हो सकता है।।।। इस बात पे विचार कर के कोई निर्णय ले और DAS एक्ट में हो सके तो बदलाव करने की कोशिश करे।

धन्यवाद।
सौराष्ट्र कच्छ लोकल केबल ऑपरेटर ऐशोसीअसन (राजकोट) गुजरात
दिलीप सिंह गोहिल प्रेसीडेंट
Contact no.9879518369